न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शर्मा निर्मल जगमोहन, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 1573/2018

CNR : RJDG020023122018

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 136/2018 पुलिस थाना दोवड़ा

राजस्थान राज्य

–बनाम –

विजयपाल उर्फ विक्रम पिता कृष्णलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी भोजातों का ओड़ा पुलिस थाना दोवड़ा जिला डूंगरपुर।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं.

उपस्थितः–

1–अभियोजन अधिकारी श्री कविश जैन राज्य की ओर से।

2–श्री मोहम्मद जाहिर अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः– 24.03.2026**

1. दिनांक 12.10.2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना दोवड़ा की ओर से अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर बाद प्रसंज्ञान आदेश प्रकरण को नियमित आपराधिक दर्ज रजिस्टर किया गया।

–: तथ्य :–

2. संक्षेप में अभियोजन मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2018 को प्रार्थी सूर्यशंकर ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 03.08.2018 को समय करीब शाम के 4.00 बजे उसकी पत्नी श्रीमती वेलु नवाघेरा मोड पर घर आने के लिए खड़े थे कि सामने से एक वाहन जीप नम्बर जी. जे. 07 आर 7695 का चालत तेजगति, गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोंग साईड में आकर उसकी पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी के शरीर पर जगह

AUTHENTICATED DOCUMENT

जगह गंभीर प्रकृति की चोटें आई।......इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना दोवड़ा ने प्रकरण दर्ज कर मामले में आवश्यक अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. दिनांक 12.10.2018 को अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के आरोप की विशिष्टयां मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

—: साक्ष्य :—

4. अन्वीक्षा के प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाहन् पी.डब्ल्यू 01 सूर्यशंकर, पी.डी. 02 विनोद, पी.डी 03 दौलतराम, पी.डी. 04 श्रीमती वेलु, पी.डी. 06 धनपाल पाटीदार, पी.डी. 07 डॉ. मोहम्मद ईरफान, पी.डी. 08 खेमराज, पी.डी. 09 हरिशचन्द्र, पी.डी 10 महेन्द्र सिंह व पी.डी 11 मोहनसिंह को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी 02 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी 03 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05 जब्तशुदा वाहन जीप के फोटोग्राफ्स, प्रदर्श पी 06 पुलिस बयान गवाह सूर्यशंकर, प्रदर्श पी 07 पुलिस बयान गवाह विनोद, प्रदर्श पी 08 पुलिस बयान गवाह दौलतराम प्रदर्श पी 09 चोट प्रतिवेदन आहता वेलु, प्रदर्श पी 10 एक्सरे प्लेट, प्रदर्श पी 11 पुलिस बयान गवाह श्रीमती वेलु, प्रदर्श पी 11 एमओ को जारी तहरीर, प्रदर्श पी 12 एमटीओ हेतु जारी तहरीर, प्रदर्श पी 13 एमटीओ रिपोर्ट, प्रदर्श पी 14 फर्द जब्ती जीप, प्रदर्श पी 15 लगायत प्रदर्श पी 19 जब्तशुदा वाहन के कागजात, प्रदर्श पी 20 फर्द पेशकशी कागजात, प्रदर्श पी 21 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श पी 22 धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस को प्रदर्शित करवाये।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त को आज दिनांक 24.03.2026 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया। अभियुक्त ने अपने परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्षीयान की साक्ष्य को गलत होना बतलाया तथा निर्दोष होने का कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। अतः न्यायालय द्वारा अभियुक्त की साक्ष्य सफाई बंद की गई।

AUTHENTICATED DOCUMENT

6. बहस अंतिम उभय पक्ष की सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अतः किसी गवाहन के पक्षद्रोही घ ोषित हो जाने से अभियोजन पक्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे एवं अन्य किसी बिन्दु पर कोई बहस नहीं की गई।

7. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्व संदेह से परे साबित किये जाने में विफल रहा है। अन्त में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

—: निर्णायक बिन्दू :—

8. प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू निम्न हैः—

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.08.2018 को समय करीब शाम के 4.00 बजे मौजा नवाघेरा लोकमार्ग पर जीप नंबर जी.जे. 07 आर. 7695 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटपन्न करते हुये, परिवादी की पत्नी श्रीमती वेला को रोंग साईड में आकर टक्कर मारी, जिससे आहता वेला के शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई?

02— यदि हॉ तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार हैं ?

—: विवेचन :—

09. हस्तगत प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध साबित करने के लिए कुल 10 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है। उपरोक्त विचारणीय बिंदू संख्या 01 के तहत न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या प्रश्नगत वाहन जीप नंबर जी.जे. 07 आर. 7695 को घटना के समय अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम, चला रहा था? यदि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन जीप नंबर जी.जे. 07 आर. 7695 को अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम चला रहा था, तो उसके पश्चात ही उक्त वाहन को चलाये जाने के संबंध में अभियुक्त ने कोई उतावलापन या उपेक्षा बरती उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत वाहन का संचालन घटना

AUTHENTICATED DOCUMENT

के समय अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम द्वारा किया जा रहा था या नहीं इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो यह दर्शित होता है कि हस्तगत प्रकरण गवाह पी. डब्ल्यू 01 सूर्यशंकर द्वारा प्रस्तुत रपोर्ट प्रदर्श पी. 01 पर संस्थित हुआ है। गवाह पी.डी. 01 सूर्यशंकर द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि करीब तीन साल पहले वर्ष 2018 में उसकी पत्नी वेलू देवी गांव घरनाला से बोर तलाई पैदल जा रहे थे। उस समय फला डोंगरा के पास में हथाई तरफ से एक जीप आई और जीप चालक ने पीछे से उसकी पत्नी वेलु को टक्कर मार दी। उक्त घटना दो बजे बाद शाम की घटना है। वह घटनास्थल से न्यायालय से मुख्य सड़क की दूरी जितना दूर था। वह बकरियां चरा रहा था। उसने टक्कर मारते हुए देखी थी। वह घटना होते ही तुरन्त उसकी पत्नी के पास गया। जीप फुल सवारियों से भरी हुई थी, जिसमें सवारियां जीप के उपर भी बैठी हुई थी और जीप के दोनों तरफ से सवारियां लटकी हुई थी। जीप चालक जीप को लहराते हुए चला रहा था और उसकी पत्नी घायल हो गई थी। वह उसे संभालने लग गया एवं उसकी पत्नी को उसी जीप में बैठाकर पुजा हॉस्पीटल डूंगरपुर में इलाज कराने के लिए लेकर आये थे। उसने जीप चालक को देखा था जिसका नाम विजयपाल था, जो भोजातों का ओडा का निवासी है। विजयपाल का नाम वह पहले से ही पहचानता है, जो उसके ग्राम पंचायत का ही रहने वाला है। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना दोवड़ा में दी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी पत्नी का इलाज करवाने उदयपुर भी लेकर गए थे। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया। अभियोजन अधिकारी की जिरह में फोटोग्राफ प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05 को देखकर गवाह ने कहा कि दुर्घटना करने वाली जीप यही थी। यह सही है कि जीप के नम्बर जी.जे. 07 आर. 7695 थे। जीप के आगे नम्बर प्लेट के नीचे अहारी लिखा हुआ था। यह सही है कि जीप के उक्त नम्बर उसने प्रदर्श पी 01 में भी लिखवाये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि उसने पुलिस को लिखाया है। यह सही है कि जीप के चालक विजयपाल ने जीप को ऑवरलोडिंग भरकर तेजगति लापरवाही से चलाकर उसकी पत्नी वेलु को टक्कर मारी थी।

AUTHENTICATED DOCUMENT

11. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को सही बताया है कि प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट उसकी हस्तकलमी नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 पर सी से डी भाग में नम्बर पर वाईटनर लगा हुआ है। यह सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में सवारियों के उपर बैठने व साईड में लटकने की बात नहीं लिखवाई है और ना ही मुलजिम का नाम भी नहीं लिखाया है। यह बात सही है कि घटना की रिपोर्ट घटना के 12 दिन बाद दी है। यह सही है कि घटना के समय वह पहाड़ी मगरी पर था। यह सही है कि जीप चालक अपनी सही दिशा में जीप को चला रहा था। यह सही है कि आवाज सुनने के बाद वह मौके पर पहुंचा था। यह सही है कि वह मुलजिम को अपने ग्राम पंचायत में होने के कारण उसको पहचानता है, जिस कारण उसने उसका नाम लिखाया है। यह सही है कि सामान्यतः आम रोड पर गाड़िया चलती है वैसे ही उक्त जीप चल रही थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 03 नक्शा मौका तथा प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की वह उसे पढकर नहीं सुनाया था, उसके केवल हस्ताक्षर करवाये थे। यह सही है कि उसके हस्ताक्षर पुलिस थाने पर कराये थे। यह सही है कि जीप के नम्बर उसने लोगों के कहने पर बताये थे।

12. उक्त गवाह पी.डब्ल्यू 01 एफआईआरकर्ता है, जिसने न्यायालय में हुए अपने बयानों में प्रश्नगत वाहन जी.जे. 07 आर. 7695 का चालक विजयपाल का होना बताया है। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में मुलजिम का नाम नहीं लिखाया है। प्रदर्श पी 01 प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 का अवलोकन करे तो प्रदर्श पी 01 व प्रदर्श पी 06 में प्रश्नगत वाहन के चालक का नाम अंकित नहीं है। गवाह ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह विजयपाल को पहले से ही पहचानता है, जो उसके ग्राम पंचायत का ही रहने वाला है। ऐसे में यदि गवाह को पूर्व से ही चालक की पहचान थी, तो उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 व पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 में चालक का नाम अंकित क्यों नहीं किया गया, इसका कोई युक्तियुक्त कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। इसके अतिरिक्त दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य को सही बताया है कि वह आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचा था तथा जीप के नम्बर लोगों के कहने पर उसने बताये थे। गवाह के उक्त कथनों से यह जाहिर होता है कि उसके द्वारा मौके पर घटना होते

AUTHENTICATED DOCUMENT

हुए नहीं देखी गई थी। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्रश्नगत वाहन के चालक के संबधं में किए गए कथनों पर संदेह उत्पन्न होता है। गवाह के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। ऐसे में उक्त गवाह के बयानों से यह संदेह से परे साबित नहीं होता है कि वक्त घटना प्रश्नगत वाहन का चालक अभियुक्त विजयपाल था।

13. प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू 04 आहता वेलु है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य तौर पर यह कथन किया है कि चार साल पहले शाम के समय वह उसकी बहिन के घर से उसके घर जाने के लिए नवाघरा की तरफ पैदल पैदल जा रही थी तब पीछे से एक जीप ने आकर उसे टक्कर मार दी व गिरते ही वह बेहोश हो गई थी। उसे हॉस्पीटल में भर्ती करवाया था। दुर्घटना में उसका दाया पैर टूट गया था। उसने उसका मेडिकल करवाया था। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 है, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है। उसकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 10 है। गाड़ी के नम्बर उसे नहीं पता।

14. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का ए से बी भाग पढ़कर सुनाया तो सुनकर कहा कि उसने नहीं लिखाया। यह गलत है कि उसने अपने पुलिस बयान में जीप के नम्बर जी.जे. 07 आर. 7695 होना बताये हो। उसे हॉस्पीटल कौन लेकर गया था इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह सही है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। यह गलत है कि वह मुलजिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो।

15. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को सही बताया है कि एक्सीडेंट करने वाला वाहन कौनसा था, उसके नम्बर क्या थे, वाहन कैसे चल रहा था तथा एक्सीडेंट करने वाले वाहन का चालक कौन था यह उसे नहीं पता।

16. उक्त गवाह द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों का विशलेषण करे तो गवाह द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत वाहन के नम्बर तथा चालक से अज्ञानता जाहिर की है। गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त की पहचान के संबंध में किसी प्रकार के कोई ठोस दोषपूर्ण कथन नहीं किए गए हैं। उक्त गवाह के बयानों से वक्त घटना प्रश्नगत वाहन के चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

AUTHENTICATED DOCUMENT

17. प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डबल्यू 02 विनोद चश्मदीद साक्षी है, जिन्होंने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वर्ष 2018 की बात है। वह उसके काम से हथाई गया हुआ था और काम निपट कर वापिस अपने गांव बोर तलाई मोटरसाईकिल लेकर जा रहा था कि करीब शाम को 5.00 बजे के आस–पास हथाई से थौडा आगे डूंगर घाटी पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। उसने पास में जाकर देखा तो उसकी काकी वेलु घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया था कि उसकी काकी पैदल पैदल जा रही थी तब जीप ने पिछे से टक्कर मार दी। वह, उसका काका सुर्यशंकर और उनका लडका सभी उसी जीप में उसकी काकी को लेकर डूंगरपुर पुजा हॉस्पीटल में लेकर आये। फिर वहां से उसकी काकी को उदयपुर हॉस्पीटल में लेकर गये। वह दो दिन तक हॉस्पीटल में रहा और फिर वापिस चला आया। टक्कर मारते हुए उसने नहीं देखा था। जीप के नम्बर उसने देखे थे परन्तु आज वह भूल गया है। जीप का चालक विजयपाल था जिसका दूसरा नाम विक्रम भी बताते है, लेकिन उसका सही नाम विजयपाल हैं। वह इस चालक को पहले से जानता था परन्तु वह उसका नाम विक्रम होना जानता था। उसने उसी से सही नाम पुछा तो उसने अपना सही नाम विजयपाल बताया था। विजयपाल उनके गांव में रोज गाडी चलाता है इसलियें वह उसको जानता है।

18. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही घोषित किया। अभियोजन की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि घटना के दिन वह विजयपाल की जीप में ही बैठकर जा रहा हो। यह उसे याद नहीं है कि जीप के नं. जी.जे. 07 आर. 7695 थे या नहीं। यह सही है कि उसने जीप को जाते हुए देखा था। यह सही है कि जीप ने उसके सामने ही वेलु को टक्कर मारी थी। जब जीप चालक ने वेलु को टक्कर मारी तब वह न्यायालय कक्ष से मुख्य सड़क तक की दूरी पर था। जीप अन्दर सवारी थी और जीप के साईड में दो–तीन सवारी लटकी हुई थी और जीप के उपर कोई सवारी नहीं थी। यह सही है कि जीप चालक जीप को तेज गति से चला रहा था और वेलु रोड के साईड में चल रही थी जिसको जीप चालक ने जीप को रोड के साईड में ले जाकर टक्कर मारी थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि उसने पुलिस को

AUTHENTICATED DOCUMENT

लिखाया था। टक्कर मारने वाली गाड़ी जीप के फोटोग्राफ प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–5 हैं।

19. अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को सही बताया है कि उसने घटना घटते हुए नहीं देखी थी। दुर्घटना करने वाली जीप के नम्बर क्या थे वह उसे आज याद नहीं हैं। यह सही है कि घटना के बारे में उसे लोगों ने बताया था। यह सही है कि घटना कैसे घटी उसके बारें में उसे जानकारी नहीं हैं। यह सही है कि मगरी से रोड दिखता नहीं हैं क्योंकि वहां पर थोडा सा मोड हैं। यह गलत है कि उसने जीप चालक को जीप चालते हुए नही देखा हो। यह सही है कि जीप चालक अपनी सही दिशा में जीप को चला रहा था। यह सही है कि सामान्यतः आम रोड पर गाडियां चलती है वैसे ही उक्त जीप चल रही थी।

20. उक्त गवाह के बयानों का विशलेषण करे तो गवाह द्वारा अपने सशपथ बयनों में स्पष्ट तौर पर यह कथन किया है कि उसने घटना घटते हुए नहीं देखी व घटना के बारे में उसे लोगों ने बताया था। गवाह के उक्त कथनों से यह जाहिर होता है कि गवाह प्रकरण का चश्मदीद साक्षी नहीं है। ऐसे में जब गवाह द्वारा घटना घटीत होते हुए ही नहीं देखी गई व उसे घटना के बारे में अन्य लोगों से पता चला है, तो गवाह द्वारा अपने बयानों में प्रश्नतगत वाहन के चालक के संबंध में किए गए कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

21. प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डबल्यू 03 दौलतराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत वेलु पिता सूर्यशंकर को जानता है तथा अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम को नहीं जानता है। वेलु का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसे नहीं पता।

22. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी ने पक्षद्रोही घोषित किया। अभियोजन की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया है कि करीब 5 वर्ष पहले विजयपाल उर्फ विक्रम ने जीप नम्बर जी.जे. 07 आर. 7695 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर वेलु को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करते देखा हो। उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 08 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखवाया था।

23. उक्त गवाह द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों का विशलेषण करे तो गवाह द्वारा प्रकरण में घटना से ही अज्ञानता जाहिर की है। गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने

AUTHENTICATED DOCUMENT

सशपथ बयानों में अभियुक्त की पहचान के संबंध में किसी प्रकार के कोई सकारात्मक कथन नहीं किए गए हैं। उक्त गवाह के बयानों से वक्त घटना प्रश्नगत वाहन के चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

24. प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 09 हरिशचन्द्र धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के जवाबकर्ता है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में जीप नम्बर जी.जे. 07 आर. 7695 का पंजीकृत स्वामी है, जिसे दुर्घटना होने के कारण पुलिस ने जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को जीप की आर.सी. बुक, बीमा, पीयूसी, विजयपाल का ड्राइवर लाइसेंस एवं टैक्स की रसीद प्रदर्श पी 15 लगायत प्रदर्श पी 19 पेश किये थो जिसकी फर्द पेशकशी प्रदर्श पी 20 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 21 दिया था, जिसपर ए से बी उसका जवाब व सी से डी हस्ताक्षर है। दुर्घटना के समय उसकी जीप को विजयपाल चला रहा था।

25. दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य को सही बताया है कि प्रदर्श पी 14 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की यह उसे नहीं पता, उसके तो केवल हस्ताक्षर कराये थे। प्रदर्श पी 20 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की उसे नहीं पता, उसके केवल हस्ताक्षर कराये थे। यह सही है कि उसकी जीप पर दो से तीन ड्राईवर है। वक्त घटना कौन गाड़ी चला रहा था उसे नहीं पता। यह सही है कि वक्त घटना वह गाड़ी के साथ नहीं था। यह सही है कि प्रदर्श पी 21 का ए से बी भाग में क्या लिखापढ़ी की है उसे नहीं पता और ना ही ए से बी भाग पढ़कर सुनाया था उसके तो केवल हस्ताक्षर है। यह सही है कि पुलिस वालों ने उसके 3 से 4 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे।

26. उक्त गवाह के बयानों का अवलोकन करे तो गवाह द्वारा सर्वप्रथम अपने मुख्य परीक्षण में वक्त घटना प्रश्नगत वाहन को अभियुक्त विजयपाल द्वारा चलाये जाने का कथन किया है, किन्तु दौराने जिरह वक्त घटना वाहन कौन चला रहा था इससे अज्ञानता जाहिर कर अपने बयानों में विरोधाभासी कथन किया है। गवाह द्वारा मुख्यपरीक्षण में प्रश्नगत वाहन के संबंध में किए गए कथन दौराने जिरह खण्डित हो जाते है। उक्त गवाह के बयान अभियोजन पक्ष को कोई सहायता प्रदान नहीं करते है।

AUTHENTICATED DOCUMENT

27. प्रकरण के अन्य गवाह पी.डबल्यू 08 खेमराज फर्द जब्ती प्रदर्श पी 14 व फर्द पेशकशी कागजात प्रदर्श पी 20 के साक्षी है, जिन्होंने उक्त फर्द पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। गवाह पी.डबल्यू 07 डॉ. मो. इरफान द्वारा आहता के चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 तैयार करने व जिस पर उनके हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू 06 धनपाल रोडियोग्राफर है, जिन्होंने एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 10 पर उसके हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है। गवाह पी.डी 11 मोहनसिंह मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के साक्षी है, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार कर उस पर हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी हैं। उक्त गवाहान के बयानों से वक्त घटना प्रश्नगत वाहन के चालक की पहचान प्रमाणित नहीं होती है। ऐसे में उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियेजन पक्ष को कोई सहायता प्रदान नहीं होती है। प्रकरण के अंतिम गवाह पी.डब्ल्यू 10 श्री महेन्द्र सिंह प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी है, जिन्होंने प्रकरण का अनुसंधान कर गवाह के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित माना है। न्यायालय के विनम्र मत में जब प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य से वक्त घटना प्रश्नगत वाहन के चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है, तो केवल मात्र अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता।

28. चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि वक्त दुर्घटना प्रश्नतगत वाहन जी.जे. 07 आर. 7695 का चालक अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम था, तो ऐसे में अभियुक्त द्वारा वक्त घटना प्रश्नगत वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाये जाने के संबंध में विस्तृत रूप से विवेचन किये जाने की काई आवश्यकता नहीं रहे जाती है। हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद गवाह व अन्य महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य के विवेचन से वक्त घटना प्रश्नगत वाहन जी.जे. 07 आर. 7695 का चालक अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है।

29. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त विजयपाल उर्फ विक्रम ने दिनांक 03.08.2018 को समय करीब शाम के 4.00 बजे मौजा नवाघेरा लोकमार्ग पर जीप नंबर जी.जे. 07 आर. 7695 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटपन्न करते हुये, परिवादी की पत्नी श्रीमती वेला को

रोंग साईड में आकर टक्कर मारी, जिससे आहता वेला के शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई, ऐसे में अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं. सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

30. अतः अभियुक्त **विजयपाल उर्फ विक्रम पिता कृष्णलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी भोजातों का ओड़ा पुलिस थाना दोवड़ा जिला डूंगरपुर** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। प्रकरण के विचारण हेतु अभियुक्त की ओर से पूर्व में पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त धारा 437–ए सीआरपीसी के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु छः माह की अवधि तक 10,000/–की जमानत व इसी कदर राशि का बन्धपत्र पेश कर तस्दीक करावे। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जी.जे. 07 आर. 7695 सुपुर्दगीदार के पास सुपुर्दगी पर है, जो उसी के पास रहे। बाद मियाद गुजरने अपील सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा की शर्ते स्वतः ही निरस्त समझी जावे।

(शर्मा निर्मल जगमोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर

31. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

KANHAIYA LAL PATIDAR
shehrestadar Grade III
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by KANHAIYA LAL PATIDAR
Location: JM COURT
Date: 2026.04.17 09:11:15 +0530

(शर्मा निर्मल जगमोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर

AUTHENTICATED DOCUMENT